पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी सं. 05 से 10 के वकील उप०। उभयपक्ष के स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी, सागरा के नाम से वक्त सेटलमेंट खातेदारी खसरा सं. 424 रकबा 5 ग. 16 बीघा का मौजा कुडला तहसील बाउमेर का पची लगान जारी हुआ था। उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 से 04 के पिता व उनके भाई सागराराम द्वारा संयुक्त रूप से 10 बीघा भूमि क्रय की गई थी व 3 बीघा भूमि संयुक्त रूप से स्कूल को समर्पित की गई थी एवं शेष 1.19 बीघा भूमि सड़क में विलिन होने से शेष भूमि 42.17 बीघा रही, जो विवादित भूमि है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त होने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी 01 से 04 वाद सं. ग्रस्त खेतों पर काबिज हो गए थे। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त होने के बाद विप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगणों का नाम छोड़ते हुए मात्र पदमाराम के तीन पुत्रो, रमेश, कासुराम, नरायणराम व अपनी माता श्रीमति सीता के नाम ही नामान्तरण स्वीकृति करवायी, जबकि वादग्रस्त खेतों पर प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त खेतों पर काबिज थे। प्रार्थीगण श्री पदमाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। प्रार्थीगण जो मात्र साक्षर काश्तकार एवं घरेलू महिला है इस कारण यह समझती रही कि उनके हिस्से की भूमि में विप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगण का नाम भी अंकित करवाया है।

प्रार्थीगण के पूर्वज सागरा जो प्रार्थीगण के दादा के सगे भाई थे। उनकी कोई संतान नहीं होने से सागरा ने प्रार्थीगण के पिताजी के जीवनकाल में ही प्रार्थीगण के सगे भाई रावता को गोद लेने से रावता का नाम पदमाराम के फौदगी नामान्तरण में अंकित नहीं किया गया। वादग्रस्त खेतों में स्वर्गीय पदमाराम के स्वर्गवास के बाद पदमाराम के समस्त विधिक वारिसान अर्थात् वादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का $\frac{1}{18}$ - 2 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 2/9 हिस्सा खातेदारी का था एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे थे/हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO), बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	प्रार्थिगण जो अपने ससुराल रहती है उस बार बरसात ऋतु में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने आयी तो विप्रार्थी सं. 05 से 07 ने प्रार्थिनी को काश्त करने से मना कर दिया और कहा कि हमने विप्रार्थी सं. 01 से 04 से वादग्रस्त खेतों की 1/2 भूमि खरीद ली है। अब इस जमीन में प्रार्थिगण एवं विप्रार्थी सं. 01 से 04 का कोई हक - हिस्सा नहीं है, जबकि प्रार्थिगण स्वर्गीय पदमाराम के विधिक वारिसान होने से उनका प्रत्येक का 1/18 - 1/18 हिस्सा आया हुआ है। प्रार्थिगण अनपढ़ एवं घरेलु महिला होने से उनका नाम पूर्व में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से की जानकारी उनको नहीं होने से वर्तमान में राजस्व रेकर्ड की प्रतियाँ प्राप्त कर अपना 15/18 हिस्सा संयुक्त रूप से घोषित करवाने एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान को प्रार्थिगण के हिस्से तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने हेतु यह वाद पेश किया गया है।	

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विप्रार्थी सं. 05 से 07 वाद ग्रस्त खेतों का आगे बेचान करने एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध तार्कसला वाद और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विप्रार्थीगण मौजा कुडला पटवार हल्का कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 524 वर्तमान खसरा संख्या 601/524 रकबा 0.9363 हैक्टेयर भूमि का मौके एवं रेकर्ड की यथा-स्थिति बनाए रखें। वकील विप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील विप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का वाद-ग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उनके भाइयों के साथ मिलकर उक्त भूमि का बेचान किया गया है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण एवं उनके भाई पैसों की डिमांड को लेकर यह वाद एवं आवेदन पेश किया है। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (JDO), बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर हम विपार्थी सं. 05 से 10 का कब्जा है हमारे द्वारा उक्त भूमि का बेचान नहीं किया जा रहा है। यदि वादग्रस्त भूमि का उभयपक्ष को रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रथम दृष्टया मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपार्थीगण 01 से 04 प्रत्येक की खातेदारी भूमि है। यदि विपार्थी सं. 05 से 10 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में लिहाजा उभयपक्ष की सहमति से वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उभयपक्ष मौजा कुडला पटवार हल्का कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा से. 524 वर्तमान खसरा से. 601/524 रकबा 6.9363 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर	